लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

अधिशासी अभियन्ता परियोजना खण्ड सिंचाई विभाग यमुना कालोनी, देहरादून के माह 07/2014 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा सर्व श्री राजेश कुमार सिन्हा, श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21/09/2016 से 01/10/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **अधिशासी अभियन्ता परियोजना खण्ड सिंचाई विभाग यमुना कालोनी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावना:-

इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री अनिल कुमार ,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, रविन्द्र कुमार,पर्यवेक्षक एवं श्री पारस शर्मा लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19/07/2014 से 31/07/2014 तक में सम्पन्न हुई थी जिसमे खण्ड के माह 07/2011 से 06/2014 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2014 से 08/2016 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं ने खण्ड का कार्यभार संभाले रखा।

1- श्री संजीव जैन (अ॰अ॰) - 01/04/2013 से 23/08/2014 तक

2- श्री हर्ष कुमार कठियार (अ॰अ॰) 23/08/2014 से वर्तमान तक

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति मिम्नवत थी:-

वर्ष	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1990-91	191/90-91	-	1
1991-92	159/91-92	-	1
1995-96	123/95-96	-	1
1996-97	50/96-97	2	-
1998-99	112/98-99	1	-
2004-05	70/2004-05	1	2,3
2006-07	97/2006/07	-	-
2007-08	42/2007-08	-	1
2009-10	02/2009-10	-	1,2,3
2010-11	41/2010-11	-	1,2,3

4. अप्रस्तुत अभिलेख:- माप पुस्तिका सं॰: 392L, 463(L), 469(L), 470(L),496(L), 507(L), 747(L), 468(L), 475(L)

5. सतत अनियमिततायेँ:- शून्य

6. बजट आवंटन :- 8443 (धन राशि ` में)

वित्तीय वर्ष	आयोजनागत(plan)		आयोजनेतर (Non-Plan)	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	-	-	190226565.00	201395021.00
2014-15	-	-	211089520.00	261279323.00
2015-16	-	-	199732700.00	180967588.00
2016-17	-	-	44580900.00	71744946.00

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः1- वित्तीय नियम के विपरीत निक्षेप मद में किए गए कार्यों पर सृजित दायित्व ` 138.20 लाख।

वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमावली वांल्यूम-VI के clause 580 के अनुसार "Outlay on deposit works is required to be limited to the amounts of deposits received. Any expenditure oin deposit works incureed in excess of the amount deposited is chargeable to "Miscellaneous P.W. advances"dending recovery, to affect which action should at once be taken."

अधिशासी अभियंता, परियोजना खण्ड, देहरादून के अभिलेकों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 के मध्य निक्षेप मद के अंतर्गत विभिन्न ग्राहक विभागें द्वारा कुल 16 कार्यों (संलग्नकानुसार) हेतु ` 1234.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी जिसके सापेक्ष खण्ड द्वारा वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुए ` 1372.38 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। इस प्रकार खण्ड द्वारा उक्त कार्यों पर ग्राहक विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि ` 1234.18 लाख से ` 138.20 लाख अधिक का भुगतान किया गया था, जो वर्तमान तक लंबित था।

उक्त की ओर इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया कि जिन कार्यो पर व्यय अधिक हुआ है उसमे ग्राहक विभाग द्वारा यह आदेश पूर्व में जारी किया गया था कि जिन कार्यों पर व्यय कम हुआ है या कार्य प्रारम्भ नहीं हुए है, उन धनराशियों से व्यय कर लिया जाये। संबंधित कार्यों की धनराशि प्राप्त होने पर इसका समायोजना कर लिया जायेगा।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खण्ड को ग्राहक विभाग से किसी भी निधि के विचलन की स्वीकृति प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग प्राप्त की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा अन्य कार्यों कि धनराशियों के उपयोग संबंधित ग्राहक विभाग के किसी भी विचलन स्वीकृति संबंधित साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

अतः खण्ड द्वारा वित्तीय नियमों के विपरीत निक्षेप मद में विभिन्न कार्यों पर ` 138.20 लाख के सृजित दायित्व सृजित का प्रकरण, उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- वित्तीय नियम के विपरीत ग्राहक विभाग से अवमुक्त धनराशि से ` 11.55 लाख अधिक व्यय के उपरांत भी कार्य का अपूर्ण रहना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमावली वांल्यूम-VI के clause 580 के अनुसार "Outlay on deposit works is required to be limited to the amounts of deposits received. Any expenditure oin deposit works incureed in excess of the amount deposited is chargeable to "Miscellaneous P.W. advances"dending recovery, to affect which action should at once be taken."

जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अल्मोड़ा के अनुसार (पत्रांक दिनांकित 31 मार्च 2013) अल्मोड़ा के धौलादेवी में रा.उ.मा.वि., बागेश्वर के मुख्य भाग के निर्माण हेतु ` 56.36 लाख कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त थी जिसके प्राक्कलन की स्वीकृति उक्त राशि हेतु ही प्रदान की गयी। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध (11/ईई/2013-14 दिनांकित 30.10.2013) ` 49.26 लाख (आंगणित लागत ` 49.51 लाख के सापेक्ष) गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 29.07.2014 थी।

अधिशासी अभियंता, परियोजना खण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2016) में पाया गया कि ग्राहक विभाग द्वारा खण्ड को स्वीकृत राशि के सापेक्ष मात्र ` 28.18 लाख की धनराशि ही अवमुक्त की गयी थी जबकि खण्ड द्वारा कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के 26 माह बाद भी वर्तमान तक अनुबंधित 55 मदों के सापेक्ष मात्र 20 मदों में कार्य करते हुए अवमुक्त राशि से ` 11.355 लाख अधिक (कुल व्यय ` 39.54 लाख) का व्यय किया गया था जबकि 35 मदों के कार्यो का निष्पादन कराया जाना अभी लंबित था।

उक्त की ओर इंगित किये जाने पर खम्ड द्वारा उत्तर में बताया कि भूमि कि उपलब्धता न होने के कारण कार्य में विलंब हुआ तथा ग्राहक विभाग से दायित्वों हेतु धनराशि की मांग की गयी है जिसके प्राप्त होते ही ऋणात्मक धनराशि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि ग्राहक विभाग वित्तीय नियमों के विपरीत न केवल बिना भूमि की उपलब्धता के अनुबंध का गठव किया गया अपितु अवमुक्त राशि से अधिक धनराशि व्यय (कुल ` 39.54 लाख) के उपरांत भी कार्य अपूर्ण था।

अतः विभागयी लापरवाही से ग्राहक विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि से ` 11.355 लाख का अधिक व्यय एवं कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के 36 माह बाद भी कार्य न होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग **अधिशासी अभियन्ता परियोजना खण्ड सिंचाई विभाग यमुना कालोनी, देहरादून** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II